01/01/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी प्रकाश कंवर D/o अमरसिंह को रजि. डाक से भेजे नोटिस का तामील स्टेटस वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनु.। प्रार्थी के अधिवक्ता गणों ने दलील दी कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी/वादी के वाद सं. 2018/00184 एवं T.I. प्रा.पत्र सं. 2018/00183 को दिनांक 4-10-2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जबकि पत्रावली प्रतिवादी पैरोकार सरकार के जवाबदावा में लंबित थी। इस प्रकार प्रतिवादी के जवाब में लंबित रहते वादी की अनुपस्थिति में वाद व T.I. प्रा. पत्र को खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं होने से आदेश दिनांक 04-10-2022 को पारित आदेश को अपास्त कर आदेश-9 नियम-4,9 CPC के प्रावधानों के अनुसार वाद व T.I. प्रा. पत्र को रेस्टोर किये जाने की दलील दी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	वकील प्रार्थी ने दलीलों के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :- (1) 2021 (1) DNJ (Rev) 226 (2) 2016 (4) DNJ (Raj) 175 (3) 2021 (3) DNJ (Raj) 911 (4) 2019 DNJ (SC) 90 आदेश - 9 नियम 4, 9 CPC में वर्णित प्रावधानो पर मनन एवं प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्तो मे प्रतिपादित सिद्धान्तो पर मनन के पश्चात प्रा·पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। राजस्व वाद सं. 2018/00184 व रा·वि· सं. 2018/00183 कानसिंह V/s हवन कंवर वगैरा मे न्यायालय द्वारा दिनांक 4-10-22 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण पुन: रिस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते है पत्रावली निर्णित शुमार होकर पूर्व निर्णित पत्रावली के संलग्न हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	